

# कार्यालय:-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही

क्रमांक : प. डीएलएसए/स्थापना/संविदा/2024-2025/04

दिनांक 21/08/2024

RTPP नियम-43(5)

खुली बोली आमंत्रण सूचना 01/2024-25

(संक्षिप्तिकरण)

NIB No - LSA2425A0038

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही द्वारा जिला मुख्यालय सिरौही हेतु Legal Aid Defence Counsel (LADC) कार्यालय हेतु सहयोगी मानव संसाधन क्रमशः ऑफिस असिस्टेंट 03, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 01 व ऑफिस पिओन 03, कुल 07 पदों के लिए संविदा सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 व 14.11.2018 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार वांछित उपयुक्त पंजीकृत सेवाप्रदाता/संवेदको से निम्नांकित विवरणनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित वार्षिक मूल्य	बोली प्रतिभूति 2%	बिड (बोली) प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि	निविदा विक्रय/ डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बोली प्रस्तुत की अंतिम तिथि पत्र व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहयोगी मानव संसाधन कार्यस्थल सिरौही	7	6,23,000/-	12460 /-	200/-	वित्तीय वर्ष 2024-25के लिए शेष अवधि 31.03.2025 तक	SPPP पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 21 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 को 12:00 A.m. बजे तक	बोली प्राप्ति की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2024 व समय दोपहर 03:00 P.M बजे तक	तकनीकी बोली खोलने की तिथि 27 अगस्त 2024 व समय 03:30 P.M वित्तीय बोली पात्र बोलीदाताओं को यथासमय सूचनानुसार

बोली से सम्बंधित अन्य विस्तृत विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है।

UBN No .....



अध्यक्ष,

उपापन समिति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरौही

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही  
बोली आमंत्रण सूचना 01 / 2024-2025

तकनीकी बोली प्रपत्र ( सहयोगी मानव संसाधन )  
(लिफाफा संख्या-1)

एस. आर प्रारूप-15  
RTPP नियम-36(2)  
बोली शुल्क 200/-

नोट- लिफाफा सं.-1 में वित्तीय बोली प्रपत्र के अलावा समस्त दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ ही प्रस्तुत किए जाने हैं। तकनीकी बोली खोलने की दिनांक ..... व समय .....

- कार्य का नाम- सहयोगी मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन
- बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूर्ण पता .....
- बोली शुल्क की राशि 200/- नकद रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी गई है।
- बोली प्रतिभूति राशि 12,460/- जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम ..... संलग्न कर दिया है।
- बोली में अंकित कार्य सेवा का अनुमानित मूल्य 6,23,000/- रुपये है।
- संवेदक/सेवाप्रदाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति मय मोहर तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

S. No	Particulars	Reg. No.	Date of reg.	Annexure No.
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 / घोषणा शपथ पत्र			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4	वास्तु एवं सेवा कर (GST)			
5	आय कर (पैन कार्ड)			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या भारतीय कंपनी अधिनियम 1956			

(बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील)

लगातार.....

7. संवेदक/बोलीदाता के पास कार्य करवाने हेतु निम्नांकित विवरणानुसार पूर्ण वांछित कार्मिक उपलब्ध हैं। जिसका विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप में अलग से संलग्न है।
8. दरे दिनांक 31.03.2025 तक विधि मान्य रहेगी।
9. फर्म का जी.एस.टी नं. ....  
फर्म का आयकर नम्बर .....
10. हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 02/2024-25 में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों विनिर्देश से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। जिसको स्वीकार करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिए गये हैं।

### नोट-

1. तकनीकी पात्रता का निर्धारण बिन्दु सं-6 के अनुसार प्रस्तुत वांछित पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) प्रमाणपत्र एवं बिन्दु सं-7 के अनुसार प्रस्तुत वांछित कार्मिकों के शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों के अनुसार संयुक्त मूल्यांकन द्वारा किया जावेगा। यदि उपापन समिति आवश्यक समझेगी तो तकनीकी बोली पात्रता का निर्धारण करने से पूर्व ही वांछित कार्मिकों की योग्यता/कार्यकुशलता/कर्म कौशल की पूर्व जाँच कर सकेगी।
2. तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ समस्त पंजीकरण दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियां, वांछित कार्मिकों के योग्यता डिग्री/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ मय सहमति पत्र तथा समस्त शर्तें – विनिर्देश व एनेक्सर के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा मय मोहर हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिए हैं।
3. वित्तीय बोली वाले लिफाफे सं. 2 में केवल "वित्तीय बिड" ही सील कर प्रेषित करनी है। शेष सभी बोली सम्बन्धित दस्तावेज लिफाफा सं.-1 में ही प्रस्तुत किया जाना है।

(बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील)

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही

बोली आमंत्रण सूचना 01/2024-25

**बोली की मुख्य शर्तें :-** (लिफाफा संख्या:- 1 हेतु)

एस. आर प्रारूप-16

{GF&AR पार्ट-II का

{RTPP नियम-36(3)}

नियम-68(3)}

1. बोली दो लिफाफा पद्धति के आधार पर विहित प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी प्रथम लिफाफे पर तकनीकी बोली अंकित कर, तकनीकी बोली संबंधी वांछित प्रमाण पत्र वांछित कार्मिक के शैक्षणिक योग्यता व संविदा एवं बोली शर्तें एवं एनेक्सर द्वितीय सील लिफाफे में केवल वित्तीय बोली/प्राईज विड प्रपत्र रख कर सील किया जावेगा। दोनों सील लिफाफे को अन्य लिफाफे में रखकर सील कर उपापन संस्था के कार्यालय में व्यक्तिशः/डाक के माध्यम से निर्धारित अवधि तक जमा करवाना होगा। लिफाफे पर स्पष्टरूप से बोली आमंत्रण सूचना संख्या व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरौही हेतु सहयोगी मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन लिखा होगा।
2. बोली बंद लिफाफे में दिनांक 22.08.2024 को समय 01:00 P.M तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली (तकनीकी बिड) दिनांक 22.08.2024 को समय 01:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। शून्य दर/शून्य समकक्ष तथा दशमलव वाली निविदा मान्य नहीं होगी तथापि दर पूर्णांक में अंकित की जावेगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केंद्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
5. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जावेगी। यदि वित्त (जी एस टी) विभाग के परिपत्र दिनांक 14.11.2018 के अनुसार बोली के समय, बोलीदाता पंजीकरण की बाध्यता की सीमा में नहीं हैं तो वह इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत कर बोली में भाग ले सकेंगा। सफल बोलीदाता को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा/संविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा वांछित पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा तो सुसंगत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां उपापन संस्था को यथा समय उपलब्ध करवा दी जावेगी।
6. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा ई0पी0एफ व ई0एस0आई की जमा राशि का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

लगातार...

7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
8. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता का बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
9. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। राशि जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में बिल का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. बिना बोली शुल्क के निविदा मान्य नहीं होगी तथा इसे निरस्त समझा जावेगा।
11. बोली प्रपत्र के साथ निविदादाता को अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि रूपये 12460/- का डीडी/बैंकर्स चैक "सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही" के पक्ष में देय की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
12. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी अन्यथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए बोलीदाता श्रमिक अधिनियम-1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को विवर्जित कराने की कार्यवाही की जायेगी।
19. न्यूनतम बोलीदाता (L-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (L-2) को कार्य दिया जा सकेगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (L-1) से बोली प्रतिभूति राशि/सम्पादन प्रतिभूति राशि जप्त की जाकर, राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम, 2012 नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर वांछित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उसकी कीमत कम कोट करता है या कमी करता है तो उस दर संविदा के अधीन वांछित कार्मिक, कीमत कम करने या कम कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
20. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर RTPP RULES 2013 के नियम- 29(2)(झ) के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
21. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
22. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
23. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह कार्यादेश की वर्णित दिनांक से वांछित कार्मिक वांछित कार्यस्थल/कार्यालय में उपलब्ध करवायेगा।
24. बोली मूल्यांकन की कसौटी:- तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में अपेक्षित योग्यता मापदण्डों (यथा वांछित पंजीकृत प्रमाण पत्र एवं वांछित कार्मिकों के शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों के अनुसार) के आधार पर किया जावेगा। यदि उपापन समिति आवश्यक समझेगी तो तकनीकी बिड में क्वालीफाइड करने से पूर्व, बोली के साथ सूची के वांछित कार्मिकों की कार्यकुशलता/कर्मकौशल की पूर्व जाँच कर सकेगी। तकनीकी बोली में सफल/क्वलीफाइड बोलीदाता/संवेदक की वित्तीय बोली खोली जावेगी जिसकी तिथि तकनीकी बोली के पात्र बोलीदाता को अलग से सूचित की जावेगी। वित्तीय बोली में बोलीदाता का सेवाशुल्क (सर्विस चार्ज) पूर्णांक अंको में स्वीकार किया जावेगा। दशमलव अंको में प्रस्तुत दर स्वीकार नहीं की जावेगी। बोलीदाताओं से एक समान दर प्राप्त होने पर बोली स्वीकृति एवं कार्य विभाजन का निर्णय उपापन समिति द्वारा लिया जावेगा।
25. बोलियों का अपवर्जन:- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
26. भुगतान:- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु, आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

27. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में परिनिर्धारित नुकसान (L.D) की वसूली कटौती सा0 वि0 एवं ले0 नियम भाग-II के नियम-58(3) के अनुसार की जावेगी।
28. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा। एतएव प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।
29. बोली दस्तावेजो/प्रपत्रो के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय समय में अध्यक्ष उपापन संस्था (DLSA, Sirohi) से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।
30. **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) :-**  
सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 3 दिन की अवधि के भीतर 500/- मूल्य मय के सरचार्ज नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न "एस.आर. प्रारूप-17" में एक करार अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा बोली के अनुमानित मूल्य अथवा वास्तविक कार्यादेश राशि की 5% राशि कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जो बोली प्रतिभूति राशि (EMD) से कम नहीं होगी जरिए बैंकर चैक ड्राफ्ट "सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही के पक्ष में जमा करवाना होगा। जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
31. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति RTPP नियम-2013 के नियम-42(12) के अनुसार सफल बोलीदाता के लिए कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित की जा सकेगी।
32. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टॉम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टॉम्प शुदा मूल प्रति निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी सत्यापित फोटो प्रति सफल निविदादाता को उपलब्ध करायी जायेगी।
33. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (S.D) राशि का प्रतिदाय सम्पूर्ण अवधि में सेवा कार्य बिना त्रुटिदायित्व के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के दो माह बाद GF&AR पार्ट-II के नियम- 57(4)(ii) के अनुसार लौटाई जा सकेगी तथा GF&AR पार्ट-II 57(5) (ख) (i) व (ii) सपठित RTPP अधिनियम की धारा-46(4) के प्रावधानानुगत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (S.D) राशि समपहृत (Forfeited) के दायित्वाधीन होगी
34. सेवा प्रदाता/संवेदक द्वारा निविदत्त दर सभी मुख्यालय पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु तथापि सभी जगह/ कार्यस्थल के लिए है एतएव उसी न्यूनतम दर पर उपापन संस्था को वांछित स्थानों पर सेवा उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। इससे भिन्न स्थिति यथा सभी स्थानों के लिए वांछित कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में इसे दर अनुबंध शर्तों का उल्लंघन मानते हुए जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (S.D) जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।
35. सफल बोलीदाता को सफलतापूर्वक संतोषप्रद सेवा उपलब्ध करवाने के अध्यक्षीन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही द्वारा प्रत्येक माह लेखाशीर्षक 2235-02-104-03-00-41 में उपलब्ध बजट प्रावधानों के अध्यक्षीन मासिक भुगतान किया जावेगा।
36. बोली स्याही या बॉलपेन या टंकण से भरी जावे। पेन्सिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राइटिंग कटिंग होने पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर आवश्यक रूप से किए जावे।
37. सा0 वि0 ले0 नि0 भाग-II के एस0 आर0 प्रारूप-16 एवं (G&T) वित्त विभाग परिपत्र संख्या 03/2013 दिनांक 04.02.2013 के संलग्नक (एनेक्सर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तें यथा उपान्तरित सहित उक्त उपापन (दर संविदा) पर प्रभावी होगी।

38. RTPP नियम-51(2) के अनुसार बोली खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।
39. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-64 में प्रावधित प्रक्रियानुसार अंकगणीतीय सुधार किया जा सकेगा।
40. वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम-69(2) के अनुसार न्यूनतम दर दाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा दिए गए मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।
41. बोलीदाता अथवा उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
42. उपापन समिति द्वारा आवश्यक समझने पर तकनीकी बोली की पात्रता को स्वीकार करने से पूर्व, बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाई वांछित कार्मिकों की सूची में नामित कार्मिकों के कर्म कौशल/कार्य दक्षता की पूर्व जाँच(ट्रायल) की जा सकेगी।
43. समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तों व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करने से पूर्व पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि इन शर्तों का पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
44. किसी भी प्रकार के विवाद में न्याय क्षेत्र सिरोही शहर होगा।

**हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर**



सहयोगी मानव संसाधन विशिष्टियाँ  
कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही  
बोली आमंत्रण सूचना सं. 01/2024-25

(लिफाफा संख्या:- 1)

सहयोगी मानव संसाधन वांछितकार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्ते

**01. Office Assistant Qualification & Specifications**

- Educational Qualification: Bachelor's degree from any University recognized by the Government of Rajasthan
- Knowledge of basic computer, internet, receiving and sending e-mail and creating PDF. Speed of 40 words per minute in Microsoft Word and Hindi typing and 40 words per minute in English Typing
- Complete Knowledge of English and Hindi Language
- Basic word processing skills and the ability to operate computer.
- Ability to take dictation and entering Data.
- File Maintenance and processing knowledge
- RS-CIT Diploma or Equivalent Diploma
- The personnel shall have at least two years of typing in hindi and english.

**02. Receptionist-cum-Data Entry Operator**

- Educational Qualification: Bachelor's degree from any University recognized by the Government of Rajasthan
- Excellent verbal and written communication skills,
- Knowledge of basic computer, internet, receiving and sending e-mail and creating PDF. Speed of 40 words per minute in Microsoft Word and Hindi typing and 40 words per minute in English Typing
- Word and Excel Processing abilities
- Complete Knowledge of English and Hindi Language
- The ability to work telecommunications systems (telephones, fax machines, switchboards etc)
- The personnel shall have at least two years of typing in hindi and english.

**03. Office Peon**

- Secondary from the Board of Secondary Education, Rajasthan or any other board recognized by the Government
- Practical knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of the culture of Rajasthan

**01. जॉब/कार्य :- Office Assistant and Receptionist-cum-Data Entry Operator का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।**

- राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य करना तथा कार्यालय का प्रातःकालीन समय होने पर समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
- हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
- डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
- एम.एस.वर्ड, एस.एस. एक्सल, पावर पाइन्ट आदि में कार्य करना।
- ई-मेल करना/प्राप्त करना।
- विभिन्न पोर्टल/मोड्यूलस में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।

7. ई-गवर्नेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
8. **Legal Aid Defence Counsel (LADC)** द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रदत्त/ संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।

02. जॉब/कार्य :- **Office Peon** का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।

01. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य करना तथा कार्यालय का प्रातःकालीन समय होने पर समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
02. कार्यालय समय प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यालय की सफाई करना।
03. यह सुनिश्चित करना कि कार्यालय में सभी स्थान साफ-सुथरा रहे।
04. कार्यालय में आगंतुको के लिए पानी, पेय पदार्थ लाना और परोसना आदि।
05. डाक, पत्र आदि ले जाना।
06. विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य करना।

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही

बोली आमंत्रण सूचना सं. 01 / 2024-25

विशिष्ट शर्तें

(लिफाफा संख्या:-1 हेतु)

### बोली की विशिष्ट शर्तें एवं विनिर्देश:-

1. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोशप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जावेगा।
2. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा सिरौही शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जावेगी।
3. वांछित कार्मिक द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. वांछित कार्मिक कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।
5. वांछित कार्मिक अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल-चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।
6. वांछित कार्मिक द्वारा अपेक्षित जॉब/कार्य नहीं करने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित उपलब्ध करवायेगा।
7. वांछित कार्मिक द्वारा कार्यस्थल पर धूम्रपान करने/अपिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/ नषाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था में अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा। जबकि अन्य वांछित कार्मिक की उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।
8. प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा कार्य छोड़ने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य वांछित कार्मिक लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
9. वांछित कार्मिक द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
10. वांछित कार्मिक ऑपरेटर के चाल-चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
11. वांछित कार्मिक ऑपरेटर लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरौही द्वारा सौंपे गए समस्त कार्यों का संपादन करेगा एवं यदि कार्मिक ऑपरेटर द्वारा कार्य संपादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है, तो

संवेदक/सफल बालीदाता द्वारा उसके स्थान पर अन्य कार्मिक/ऑपरेटर की व्यवस्था की जावेगी।

12. अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही द्वारा संविदा सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर संविदा सेवाओं को निरस्त किया जा सकेगा।
13. संवेदक/सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वांछितकार्मिक (ऑपरेटर) की सूचना विवरण निम्नलिखित प्रारूप में सूचना एग्रीमेन्ट के साथ भी प्रस्तुत करेगा:—

(विवरण संलग्न प्रारूप में अलग से संलग्न है)

लगातार....

**प्रशिक्षित कार्मिको की विवरण सूची**  
(बोली की विशिष्ट शर्तों एवं विनिर्देश का बिन्दु सं.-21)

क्र. सं.	कार्य स्थल मुख्यालय जहां कार्मिक सेवाएं देगा	पद	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	निवास का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	शैक्षणिक योग्यता एवं डिग्री / प्रमाणपत्र जारी करने वाली विश्व विद्यालय / संस्था का नाम
1	2		3	4	5	6	7	8
1	<b>DLSA</b> सिरौही	ऑफिस असिस्टेंट						
2	<b>DLSA</b> सिरौही	ऑफिस असिस्टेंट						
3	<b>DLSA</b> सिरौही	ऑफिस असिस्टेंट						
4	<b>DLSA</b> सिरौही	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर						
5	<b>DLSA</b> सिरौही	ऑफिस पिओन						
6	<b>DLSA</b> सिरौही	ऑफिस पिओन						
7	<b>DLSA</b> सिरौही	ऑफिस पिओन						

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही

घोषणा पत्र

(लिफाफा संख्या:- 1 हेतु)

बोली आमंत्रण सूचना सं. 01/2024-25

एस. आर प्रारूप-11

RTPP नियम-39(4)

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। हमें बोली उपापन संस्था का निर्णय मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं / हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है। प्रतीक स्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिए हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

## (लिफाफा संख्या:- 1 हेतु)

### **Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.**

Any person participating in a procurement process shall-

- a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process
- f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g) Disclose conflict of interest, if any; and
- h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
  - i. Have controlling partners/shareholders in common; or
  - ii. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - iii. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
  - iv. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
  - v. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - vi. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
  - vii. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

**Signature of bidder with stamp**

Annexure B: (लिफाफा संख्या:- 1 हेतु)

**Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to .....for procurement of .....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated .....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:



Annexure C: (लिफाफा संख्या:- 1 हेतु)

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is ..... The designation and the address of the first Appellate Authority is .....

1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain cases No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

**Signature of bidder with stamp**

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012

Appeal No----- of-----

Before the -----(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

- i. Name of the appellant:
- ii. Official Address, if any:
- iii. Residential Address:

2. Name and Address of the respondent (s):

- i. ....
- ii. ....
- iii. ....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....  
.....(supported by an affidavit)

7. Prayer .....

Date:

Signature of Appellant

Place:

Annexure D:

(लिफाफा संख्या:- 1 हेतु)

**Additional Conditions of Contract**

1) Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- a. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- b. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- c. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
- d. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2) Procuring Entity's Right to vary Quantities.

- I. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract
- II. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- III. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3) Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**Signature of bidder with stamp**

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही  
बोली आमंत्रण सूचना सं. 01 / 2024-25

तकनीकी निविदा की चैक लिस्ट  
(लिफाफा सं.- 2 हेतु)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्न लिखित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित कॉपी तकनीकी बिड में संलग्न करनी होगी। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

क्र.सं.	विवरण	संलग्न हां/नहीं
1.	निविदा शूल्क डाफ्ट/नगद रसीद (G.A.-55)	
2.	बोली प्रतिभूति राशि डाफ्ट	
3.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र	
4.	PF Act 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र	
5.	ESI 1948 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र	
6.	GST पंजीकरण प्रमाण पत्र	
7.	PAN CARD की स्वप्रमाणित प्रति	
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र	
9.	बोली प्रपत्र की मुख्य शर्तें, विनिर्देश, विशिष्ट शर्तें, एनेक्सर A से D व घोषणा पत्र (S.R-11) प्रत्येक पेज पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर शुदा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना।	
10.	तकनीकी बोली प्रपत्र (S.R-15)	
11.	वांछित कार्मिको का विवरण (संलग्न प्रारूप में)	
12.	सम्बधित कार्य करने की क्षमता का घोषणा पत्र (S.R-11)	

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही  
बोली आमंत्रण सूचना सं. 01 / 2024-25

(लिफाफा सं.-2)

बोली प्रस्तुत करने की दिनांक 27 अगस्त 2024 व समय 01:00 P.M तक

**वित्तीय बोली प्रपत्र**

कार्य आधारित

- कार्य का नाम :- सहयोगी मानव संसाधन (ऑफिस असिस्टेंट / रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर / ऑफिस पिओन) वांछित कार्मिक की सेवा उपापन
- सेवाप्रदाता / संवेदक का नाम एवं पूर्ण पता.....

**3. कार्य आधारित वांछित कार्मिकों की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत वित्तीय दरें निम्नानुसार हैं।**

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या एवं श्रमिक श्रेणी	रालसा के निर्देशानुसार देय मानदेय	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 (तेरह) प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रतियूनिट प्रतिमाह)	GST 18% (अठारह)	कुल राशि (प्रतियूनिट प्रतिमाह) (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ऑफिस असिस्टेंट (प्रशिक्षित कार्मिकों)	3 (तीन)	14000 /- (सभी व्यय सहित)		नियमानुसार	नियमानुसार		नियमानुसार	
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिकों)	1 (एक)	14000 /- (सभी व्यय सहित)		नियमानुसार	नियमानुसार		नियमानुसार	
3	ऑफिस पिओन	3 (तीन)	11000 /- (सभी व्यय सहित)		नियमानुसार	नियमानुसार		नियमानुसार	

- उपर्युक्त तालिका में केवल कॉलम से 5 व 8 में ही बोलीदाता द्वारा प्रतियूनिट प्रतिमाह दरें अंकित की जाकर, कॉलम सं-10 में कॉलम सं (5+8) का कुल योग अंकित करना है।
- संवेदक / सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- न्यूनतम मजदूरी, EPF एवं ESI दर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अध्याधीन होगी।
- न्यूनतम दर का निर्धारण बोलीदाता द्वारा कॉलम 5 व 8 में अंकित दर प्रति यूनिट प्रति माह के कुल योग के आधार पर किया जावेगा।

8. बोलीदाता निविदत्त न्यूनतम दर पर बोली की शर्तों के अनुसार वांछित ग्रेजुएट कार्मिक मुख्यालय-सिरोही पर अनुबंध अवधि में लगाने पर पूर्णतया सहमत हैं।
9. उक्त निविदत्त दरों पर हम बोली की समस्त बाध्यकारी शर्तों के अधधीन कार्य करने हेतु पूर्ण रूप से सहमत हैं। उपर्युक्त निविदत्त दरों पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सहमत है।
10. दरें पूर्णांक में अंकित की जावेगी। शून्य तथा शून्य समकक्ष एवं दशमलव अंको तथा दशमलव प्रतिशत वाली दरें अंकित नहीं की जावेगी।

**हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर**

**एस.आर. प्ररूप-17**  
**करार (अनुबंध) पत्र**  
**(GF&AR पार्ट-II का नियम-68) / [RTPP का नियम-76(2),**  
**(निर्धारित 500 नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)**

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01 / 2024-25

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को प्रथम पक्ष ..... (अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोंही द्वितीय पक्ष के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जावेगा।
2. अनुमोदित सप्लायर ..... राजस्थान राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोंही द्वारा जारी खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या 02 / 2023-24 दिनांक ..... के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सेवा ..... की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... राशि ..... अक्षरे ..... में दी गई सभी सेवाओं की आपूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तों पर दिये गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूँ।
3. उक्त सेवा/आपूर्ति आदेश की राशि ..... के पेटे 5 प्रतिशत, जो भी प्रभावी होगी, दर से राशि ..... की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... से जमा करवाई जा चुकी है।
4. यदि अनुमोदित सप्लायर सेवा/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में सेवा/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोंही के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सेवा प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।
5. सेवा/आपूर्ति कार्य, सेवा आदेश जारी होने की तिथि से प्रारम्भ की जाकर पूर्ण अनुबंध अवधि में जारी रखी जावेगी।
6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोंही द्वारा विनिश्चित किए जावेंगे जो अन्तिम रूप से स्वीकार/मान्य होंगे।  
निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्षकार  
(अनुमोदित सप्लायर का नाम एवं मोहर)

द्वितीय पक्षकार  
(राज्यपाल की ओर से)  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सिरोंही (राज.)

दिनांक : .....

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2